

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड-डे मील योजना
(PM POSHAN SCHEME)



क्रमांक:एफ.4(220)प्रा. शि./एमडीएम/दिशा-निर्देश/2016

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षर

जिला कलक्टर
समस्त जिला।

विषय:- पीएम पोषण योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का
मैन्सू एवं मैटेरियल कॉस्ट (Cooking Conversion Cost) की Wall Painting
(दीवार पर अंकन) करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पीएम पोषण योजनान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि
आयुक्तालय के पत्र क्रमांक 179 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा भारत सरकार के आदेशानुसार 1
मई 2025 से मैटेरियल कॉस्ट (Cooking Conversion Cost) निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

क्र. सं.	स्तर	पूर्व की दर (प्रति छात्र प्रति दिन)	संशोधित दर (प्रति छात्र प्रति दिन)
1.	बाल वाटिका एवं प्राथमिक स्तर	6.19	6.78
2.	उच्च प्राथमिक स्तर	9.29	10.17

अतः उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 152501359 दिनांक 05.06.2025 द्वारा
प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

भारत सरकार के आदेशों के तहत ही विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री-प्राइमरी से 8 तक के
विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबन्धन समिति/एजीओ/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति/स्वयं
सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मध्याह्न भोजन में निर्धारित मैन्सू निम्न अनुसार
होगा :-

योजनान्तर्गत साप्ताहिक भोजन व्यवस्था

क्र.सं.	वार	भोजन का विवरण
1	सोमवार	रोटी दाल, सब्जी
2	मंगलवार	चावल एवं दाल, सब्जी
3	बुधवार	रोटी दाल, सब्जी



4	गुरुवार	खिचडी (दाल,चावल,सब्जी आदि युक्त)
5	शुक्रवार	रोटी दाल, सब्जी
6	शनिवार	रोटी दाल, सब्जी

- सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है।
- सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा।

अतः आप अपने जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का मैन्यू एवं मैटेरियल कॉस्ट (Cooking Conversion Cost) की Wall Painting (दीवार पर अंकन) उपरोक्तानुसार करवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करावें।

भवदीय,

(विश्व मोहन शर्मा),
आयुक्त

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, पाली एवं चूरु।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जिला समस्त।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक(मुख्यालय) शिक्षा, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि अपने जिले के समस्त विद्यालयों में उपरोक्तानुसार मैटेरियल कॉस्ट एवं मैन्यू का दीवार पर अंकन कराये जाने की सुनिश्चितता करावें।
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (क्रि. एवं मो.)
मिड डे मील